कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/मा/संस्था/सी–6/राज.विज्ञान/स्थानान्तरण/2021 दिनांक–25.09.2021 के द्वारा श्री रामसिंह मीणा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि गूढा, भीलवाडा (222591) का स्थानांतरण राउमावि मोडाटिया, डूंगरपुर किया गया। रामसिंह मीणा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4813/2021 रामसिंह मीणा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

अपील संख्या 4813/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 25.09.2021 यात्रा भत्ता नियमों के विपरीत जाकर पारित किये जाने एवं अपीलार्थी की बिना प्रार्थना के ही प्रार्थना मानते हुए स्थानांतरण को विधि विरूद्ध होने के कारण अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया है तथा यह स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्थी विभाग को नये सिरे से नियमानुसार स्थानांतरण आदेश जारी करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान है तथा ऐसे स्थानांतरण पर उक्त आदेश बाधक नहीं रहने का आदेश पारित किया है।

अतः माननीय अधिकरण के निणर्य की पालना में नवीन आदेश प्रसारित करते हुए श्री रामसिंह मीणा को राउमावि मोडाटिया, डूंगरपुर (225295) में व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । संबंधित अधिकारी आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी को उक्त पदस्थापन पर नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा।

Rajasthan Education Department

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/ अ. 4813/2021

दिनांकः–31/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.........................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर....................................।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर